उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

जकिउर रहमान
बनाम
फरहंदा अलिम वगै0

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 03/2012–13

वाद का प्रकार :– विविध (Miscllaneous Appeal)

अपीलार्थी श्री जकिउर रहमान वल्द स्व0 हबिबुल रहमान, ग्राम–गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला द्वारा विविध वाद सं0–09/2011–12 में दिनांक–29.02.2012 को उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट व असहमत होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया है। इस अपील वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय की अभिलेख की मांग की गई, परन्तु सम्यक् प्रयास के वावजूद भी निम्न न्यायालय का अभिलेख अप्राप्त है।

तत्पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया जिसे यह परिलक्षित होता है कि इस अपील वाद में मौजूद सभी पक्षकारों को निम्न न्यायालय में अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया गया है, न्यायहित में सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का मौका निम्न न्यायालय में देना चाहिए था। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ की भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के समक्ष विविध वाद सं0–9/2011–12 के आलोक में प्रश्नगत भूमि से संबंधित जमाबंदी को निरस्त करने तथा नये सिरे से कायम करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु जमाबंदी से संबंधित मामले की सुनवाई मूल न्यायालय अंचल अधिकारी गुमला के समक्ष नही हुई है। अतः विविध वाद सं0–9/2011–12 दिनांक–29.02.2012 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद सुनवाई हेतु अंचल अधिकारी गुमला को Remand किया जाता है। अंचल अधिकारी गुमला को यह निर्देश दिया जाता है कि सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई कर तर्कसंगत आदेश पारित करेगें।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला एवं संबंधित अंचल अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

03.09.22

उपायुक्त,
गुमला

03.09.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 17:01:09 +05:30
Location: 192.168.43.106

Scanned with OKEN Scanner